संख्या-५५७ /उन्तीस(2)/11–2(51पे0)/2010

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 31 मार्च, 2011**

विषय :– जनपद पिथौरागढ़ की पम्पिंग स्टेशनों के रखरखाव हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 2702/अप्रे0–03/ धनावंटन/2010–11 दिनांक 10.08.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्य योजना नगरीय के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ की निम्नलिखित पम्पिंग पेयजल योजनाओं हेतु ₹ 199.72 लाख के सापेक्ष परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 194.20 लाख (₹ एक करोड़ चौरानवे लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	अनुमोदित लागत	स्वीकृत धनराशि
1.	पिथौरागढ़ पेयजल योजना के अन्तर्गत गुरूना एवं मटेला पम्पिंग स्टेशन के रखरखाव का कार्य।	96.51	96.51
2.	पिथौरागढ़ पेयजल योजना के अन्तर्गत घाट पम्पिंग स्टेशन के रखरखाव का कार्य।	97.69	97.69
	योग–	194.20	194.20

2– स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत कर पी0एल0ए0 में रखी जायेगी एवं तदोपरान्त वास्तविक आवश्यकतानुसार ही किश्तों में पी0एल0ए0 से आहरित कर व्यय की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को तत्काल उपलब्ध कराई जाय।

3– स्वीकृति की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2011 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

4– कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

6– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

.....2

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

8– उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 मे लिये गये निर्णयानुसार तथा इसके विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन के अन्तर्गत कराया जाय।

9– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लायी जाए।

10– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 एवं निर्माण एजेन्सी के विषय में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–05–नगरीय पेयजल–06–पम्पिंग योजनाओं के रखरखाव हेतु अनुदान (2215–01–101–05–01 से रख–रखाव हेतु)–20–सहायक अनुदान/अंशदान राजसहायता" के नामे डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 840/XXVII (2)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव

पृ0सं0- 447(1) /उन्तीस(2)/11–2(51पे0)/2010 तददिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त कुमायूँ, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/वित्त (बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
7. बजट अधिकारी (बजट निदेशालय), उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
9. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
10. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
12. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव